राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] तेरहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

सोमवार,

26 अगस्त, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: अनुपस्थिति के लिये अनुमति।

अनुपस्थिति-अनुमति

पानाचन्द मेघवाल, श्री, सदस्य को 26 अगस्त से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री पानाचन्द मेघवाल, सदस्य, विधान सभा ने अपनी पुत्री के असामयिक निधन के कारण दिनांक 26 अगस्त, 2013 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

विशिष्ट सचिव: अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:-

1. राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012;
2. राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013;
3. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013;
4. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013;
5. राजस्थान वित्त विधेयक, 2013;
6. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013;
7. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013;
8. राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013;
9. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013;
10. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013;
11. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013;
12. राजस्थान विद्यालय फीस के संग्रहण का विनियमन विधेयक, 2013;
13. राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013;
14. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013;
15. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013;
16. राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013; एवं
17. राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य वीक्षिका तथा सहायक नर्स, दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013.

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयकों की राष्ट्रपति/राज्यपाल के हस्ताक्षर व आगामी सत्र में राष्ट्रपति/राज्यपाल-की-अनुमति-प्राप्त द्वारा सदन को सूचित करने के मध्य की विधिक स्थिति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये सारे विधेयक यहां से पारित हुए थे, ये पारित होकर माननीय राज्यपाल महोदय के यहां गये। राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद में ये जारी हुए। आज इन्हें सदन के पटल पर रखा गया है। अब यह बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड में इन आर्डिनेन्स के तहत जो भी सरकार के काम हुए हैं, उन कामों की क्या स्थिति है? नम्बर एक। और अगर ये नहीं रखे हैं, नहीं भी रखें, तो क्या हो? नहीं रखें और आप सूचना भी दे दें, तो क्या हो? यह मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है, यह वे हैं जो गत सत्र में पारित हो चुके हैं; नये आर्डिनेन्स नहीं हैं ये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसी का पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पारित हो चुके हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, पारित हो चुके। पारित हो चुके और राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद यहां पर आये हैं। तो राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद में इन विधेयकों के अनुसार सरकार ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी और विधेयक आज रखे गये हैं। तो इस पीरियड में, जिस पीरियड में राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर किये और आज सदन में रखे गये, इस बीच में इन विधेयकों की क्या स्थिति होगी?

श्री अध्यक्ष: पारित हो चुके हैं, इसलिये इसमें आपकी आपत्ति मैं निरस्त करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपत्ति है ही नहीं, मेरा इसमें स्पष्टीकरण है।

श्री अध्यक्ष: अध्यादेश। श्री शांती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

अजमेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2013

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, अजमेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-20) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमाराम चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हेमारामजी ने इस्तीफा दे रखा है। यह पहले स्पष्टीकरण तो दें कि ये मंत्री हैं कि नहीं हैं। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये स्पष्टीकरण तो दें कि ये मंत्री हैं कि नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: समाचार पत्रों की खबर के ऊपर इस तरह की चर्चा नहीं की जा सकती। मेरे पास इस बात की कोई सूचना नहीं है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मुख्य मंत्रीजी का स्पष्टीकरण बार-बार दिया है उन्होंने। मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्टीकरण दिया है कि हम उन्हें मना लेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप मंत्री हो कि नहीं, यह तो बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, वे क्या कारण थे जिन कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया?

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं। अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :-

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 2013

1. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-18); एवं

(श्री हेमाराम चौधरी)

राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013

2. राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-19)।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये प्लीज।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री हरजीराम बुरड़क।

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2013* (2013 का अध्यादेश संख्यांक-12) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा।

जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-17) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशोर सैनी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय हरजीरामजी बुरड़क ने रखा, वह 1913 बोला है। देख लो आप 1913 बोला है। रिकार्ड पर है, आप देख लो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 1913 में असेम्बली थी ही नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब यह अंग्रेजों के जमाने के आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष: इसे दुरुस्त करा लेंगे।

श्री रामकिशोर सैनी।

---

* माननीय अध्यक्ष की अनुमति पश्चात संशोधन।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-14) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मांगीलाल गरासिया।

राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं अध्यादेश, 2013

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-13) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरारीलाल मीणा।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :-

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) अध्यादेश, 2013

1. महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का आध्यादेश संख्यांक-6); एवं

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2013

2. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-7)।

श्री अध्यक्ष: श्री दयाराम परमार।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:-

वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2013

1. वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-8);

(डा. दयाराम परमार)

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013

2. कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-9);

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2013

3. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-10);

मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) अध्यादेश, 2013

4. मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-11);

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर अध्यादेश, 2013

5. टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-15); एवं

ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू अध्यादेश, 2013

6. ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-16)

श्री अध्यक्ष: श्री हेमाराम चौधरी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-18) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सर, बाड़मेर वाली जमीन का तो पास कर लेते पहले। सारे ही होने लग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री हरजीरामजी बुरड़क।

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन)

(श्री हरजीराम बुरड़क)

विधेयक, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-12) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा।

जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-17) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशोर सैनी।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री रामकिशोर (राज्य मंत्री, कारागार): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री रामकिशोर (राज्य मंत्री, कारागार): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-14) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरारीलाल मीणा।

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरारीलाल मीणा।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. दयाराम परमार।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-10) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. दयाराम परमार।

वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-8) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. दयाराम परमार।

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-9) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. दयाराम परमार।

मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं,

(डा. दयाराम परमार)

आपकी अनुमति से, मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-11) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. दयाराम परमार।

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर अध्यादेश 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-15) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए यूनाइटेड किंगडम की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती मार्ग्रेट थैचर, बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद जिल्लुर रहमान, गोवा एवं कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल श्री खुर्शीद आलम खान, राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल, पूर्व उप मंत्री श्री धनराज मीणा, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री द्वारका प्रसाद बैरवा एवं श्री रतनलाल वर्मा तथा पूर्व सांसद श्री आर.पी. गोयनका के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मार्ग्रेट थैचर, श्रीमती, पूर्व प्रधान मंत्री, यूनाइटेड किंगडम

यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री रहीं श्रीमती मार्ग्रेट थैचर का जन्म 13 अक्टूबर, 1925 को यूनाइटेड किंगडम में लिंकनशायर के ग्रैन्थम में हुआ।

श्रीमती मार्ग्रेट थैचर मई, 1979 से नवम्बर, 1990 तक यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रधान मंत्री रहीं। आप पहली बार वर्ष 1959 में उत्तरी लंदन के फिनश्ले क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुईं और 1992 तक संसद सदस्य रहीं। 'आइरन लैडी' के नाम से लोकप्रिय श्रीमती थैचर को भारत तथा ब्रिटेन के मध्य सम्बन्धों की प्रगाढ़ता में उनके योगदान के लिए याद किया जायेगा।

श्रीमती मार्ग्रेट थैचर का दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को लंदन में निधन हो गया।

मोहम्मद जिल्लुर रहमान, श्री, राष्ट्रपति, बांग्लादेश

बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद जिल्लुर रहमान का जन्म 9 मार्च, 1929 को किशोरगंज जिले के भैरब में हुआ। आपने ढाका यूनिवर्सिटी से एम.ए. (आनर्स) तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मोहम्मद जिल्लुर रहमान 12 फरवरी, 2009 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनाये गये तथा मृत्यु पर्यन्त इस पद पर आसीन रहे। उच्च आदर्शों के समर्थक श्री रहमान ने दशकों तक अपने देश और देशवासियों की सेवा की। आपके कार्यकाल के दौरान भारत-बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को और मजबूती मिली।

श्री मोहम्मद जिल्लुर रहमान का 20 मार्च, 2013 को निधन हो गया।

खुर्शीद आलम खान, श्री, पूर्व राज्यपाल, गोवा व कर्नाटक

गोवा एवं कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल श्री खुर्शीद आलम खान का जन्म 5 फरवरी, 1919 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के पितौरा ग्राम में हुआ। आपने आगरा विश्वविद्यालय से एम.ए. और पैनसिलवेनिया विश्वविद्यालय से 'शार्ट मैनेजमेंट कोर्स' किया।

श्री खुर्शीद आलम खान जुलाई, 1989 से मार्च, 1991 तक गोवा तथा जनवरी, 1991 से दिसम्बर, 1999 तक कर्नाटक के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इस दौरान आपके पास महाराष्ट्र तथा केरल के राज्यपाल के पदों का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। श्री खान आठवीं लोक सभा तथा वर्ष 1974 से 1984 तक दो बार राज्य सभा के सांसद भी रहे। वर्ष 1980 से 1986 तक विभिन्न समयावधि में आप केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में वस्त्र, वाणिज्य, नागर विमानन, विदेश एवं पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे। आपके पास पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी रहा।

श्री खान दिल्ली राज्य हज कमेटी तथा उर्दू सलाहकार समिति के चेयरमैन रहे। आप विश्व पर्यटन संगठन के चेयरमैन भी रहे। डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य रहे श्री खान...माननीय सदस्यगण, कृपया शोकाभिव्यक्ति है।...डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज, नई दिल्ली की गवर्निंग बाडी के वाइस-चेयरमैन भी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले श्री खान जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के दो बार कुलाधिपति रहे। आप अनेक सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठनों एवं समितियों से सम्बद्ध रहे।

श्री खुर्शीद आलम खान का 20 जुलाई, 2013 को निधन हो गया।

कृष्ण कुमार गोयल, श्री, पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री

पूर्व मंत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल का जन्म 30 जुलाई, 1931 को कोटा जिले के अटरू कस्बे में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.ए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री कृष्ण कुमार गोयल तीसरी, चौथी और नौवीं राजस्थान विधान सभा तथा छठी एवं सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। आप तीसरी एवं चौथी विधान सभा में कोटा निर्वाचन क्षेत्र से जन संघ तथा नौवीं विधान सभा में बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। श्री गोयल 14 मार्च, 1990 से 14 दिसम्बर, 1992 तक राजस्थान सरकार में उद्योग एवं राजकीय उपक्रम विभाग के मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। आप उद्योग, राजकीय उपक्रम, खनिज विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति भी रहे। छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान श्री गोयल वर्ष 1977 से 1979 तक केन्द्रीय सरकार में वाणिज्य, सहकारिता तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे।

अधिवक्ता रहे श्री गोयल ने किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिए अनेक आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई तथा जेल यात्रा भी की। आप कोटा नगरपालिका के सदस्य रहे। जन संघ के प्रदेश महामंत्री तथा अध्यक्ष रहे श्री गोयल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल का 23 अप्रैल, 2013 को निधन हो गया।

धनराज मीणा, श्री, पूर्व उप मंत्री

पूर्व उप मंत्री, श्री धनराज मीणा का जन्म 10 मार्च, 1952 को चित्तौड़गढ़ जिले के बासलाई ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री धनराज मीणा आठवीं राजस्थान विधान सभा के लिए प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। श्री मीणा जून, 1989 से दिसम्बर, 1989 तक जनजाति क्षेत्रीय विकास, नियोजन, श्रम, सहकारिता एवं सिंचाई विभाग के उप मंत्री रहे।

समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री मीणा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आपने आदिवासियों के उत्थान तथा शिक्षा प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई। आप तेंदू पत्ता सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

श्री धनराज मीणा का दिनांक 16 मई, 2013 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

द्वारका प्रसाद बैरवा, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व विधायक श्री द्वारका प्रसाद बैरवा का जन्म 24 दिसम्बर, 1948 को टोंक जिले की निवाई तहसील के झिलाय ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा सातवीं राजस्थान विधान सभा में निवाई निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा कृषि, पशुपालन, एकीकृत ग्रामीण एवं विशिष्ट योजना विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री बैरवा बारहवीं लोक सभा में टोंक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद भी रहे। लोक सभा में आप संचार एवं भूतल परिवहन समिति के सदस्य रहे। आप भूतल परिवहन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

श्री बैरवा वर्ष 1988 से 1991 तथा 2000 से 2005 तक टोंक के जिला प्रमुख रहे। आप सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, टोंक के चेयरमैन तथा राजस्थान अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के सदस्य भी रहे।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा का 23 जुलाई, 2013 को निधन हो गया।

रतन लाल वर्मा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री रतन लाल वर्मा का जन्म वर्ष 1928 में अजमेर जिले के भिनाय कस्बे में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री रतन लाल वर्मा छठी राजस्थान विधान सभा में भिनाय निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित श्री वर्मा 10 वर्षों से अधिक भिनाय पंचायत समिति के सरपंच रहे। आप वर्ष 1965 से 1970 तक पंचायत समिति, भिनाय के प्रधान भी रहे।

श्री रतन लाल वर्मा का 25 मार्च, 2013 को निधन हो गया।

आर.पी. गोयनका, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री आर.पी. गोयनका का जन्म 1 मार्च, 1930 को कोलकाता में हुआ। आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बी.ए. (आनर्स) की उपाधि प्राप्त की तथा अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री आर.पी. गोयनका वर्ष 2000 में राज्य सभा में राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद रहे। राज्य सभा के कार्यकाल के दौरान आप वित्त समिति तथा ऊर्जा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

उद्योगपति रहे श्री गोयनका विभिन्न कम्पनियों के चेयरमैन रहे। सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बद्ध रहे श्री गोयनका ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू के भाषणों के उद्धरण पर आधारित 'थाट्स' शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया। विभिन्न विषयों पर आपके लेख अनेक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। वर्ष 1977 में आपको जापान के सम्राट द्वारा 'दी आर्डर आफ दी सेक्रेड ट्रैजर गोल्ड एंड सिल्वर स्टार' की उपाधि से सम्मानित किया गया।

इण्डियन इन्स्टिट्यूट आफ टेक्नोलोजी, खड़गपुर के चेयरमैन; फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नई दिल्ली के प्रेसिडेंट तथा भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के निदेशक रहे श्री गोयनका अनेक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहे। गोयनका समूह के संस्थापक रहे श्री गोयनका जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड, इन्दिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट तथा राजीव गांधी फाउण्डेशन के ट्रस्टी भी रहे।

श्री आर.पी. गोयनका का 14 अप्रैल, 2013 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगतों की आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदा में मृत व्यक्ति

जून, 2013 में उत्तराखण्ड के केदारनाथ क्षेत्र में हुई भारी वर्षा, भूस्खलन एवं बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग मारे गये तथा हजारों लोग घायल हो गये। इस प्राकृतिक आपदा में उत्तराखण्ड के चार धाम यात्रा पर गये श्रद्धालुओं सहित हजारों लोग लापता हो गये और बड़ी तादाद में ग्रामवासी विस्थापित हो गये। भारतीय सेना एवं अन्य संस्थाओं के संयुक्त बचाव अभियान से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया परन्तु 25 जून, 2013 को बचाव अभियान में लगे हेलिकाप्टर की दुर्घटना में कई जवानों की मृत्यु हो गई। उत्तराखण्ड में

(श्री अध्यक्ष)

प्राकृतिक आपदा से हुई विनाशलीला में राजस्थान के भी बहुत से श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई।

धमारा (बिहार) रेल दुर्घटना में मृत व्यक्ति

दिनांक 19 अगस्त, 2013 को बिहार के खगड़िया जिले के धमारा रेलवे स्टेशन पर राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से तीर्थयात्रियों, महिलाओं एवं बच्चों सहित कई लोग मारे गये। इस दर्दनाक हादसे में बहुत से लोग गम्भीर रूप से घायल भी हो गये।

मैं, इन हादसों में मारे गये व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.33 बजे मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)